2025: CGHC: 53178–DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 370/2019
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक: 07.08.2025
निर्णय उद्घोषित करने का दिनांक: 31.10.2025

1. **बिसाहू राम हिडको**, आत्मज सुखराम हिडको, आयु लगभग 36 वर्ष,
   निवासी ग्राम हिडकोटोल, नेउगांव, थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
2. **ईश्वर पटेल**, आत्मज प्रभुराम पटेल, आयु लगभग 37 वर्ष,
   निवासी ग्राम हिडकोटोला, नेउगांव, थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

----अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

----प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण हेतु: श्री समीर सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी हेतु: श्री अजय पांडे, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे एवं
माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद
(सी.ए.वी. निर्णय)

निर्णय न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा:

1. यह अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 27/2016 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 04.02.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्नलिखित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंडित किया गया है:–

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत	आजीवन सश्रम कारावास और 5,000/– रुपये अर्थदंड, तथा अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत	10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये अर्थदंड, तथा अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोनों दंडादेश साथ–साथ चलाने का निर्देश दिया गया।

2. अभियोजन का कहानी, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हुई है, यह है कि दिनांक 13.12.2015 को मृतिका के पति गोकुलराम (अ.सा.–1) ने थाना मानपुर में इस आशय की एक मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11.12.2015 को वह साइकिल पर काम की तलाश में गया था और जब दिनांक 12.12.2015 को दोपहर लगभग 2:00 बजे वह अपने घर लौटा, तो उसने पाया कि उसकी पत्नी (अब मृतिका) घर में उपस्थित नहीं थी। अपने पुत्र प्रमोद से मृतिका के ठिकाने के बारे में पूछने पर उसने अनभिज्ञता व्यक्त की। इसके पश्चात, गोकुलराम (अ.सा.–1) भर्रीटोल बाजार गया और बाजार से लौटते समय शाम लगभग 5:00 बजे, रास्ते में उसे प्रेम (अभियुक्त/अपीलार्थी) मिला और उसने उसे अपने घर बुलाया। इसके तुरंत बाद वह प्रेम (अभियुक्त/अपीलार्थी) के घर गया, जहाँ उसने गोकुलराम (अ.सा.–1) को सूचित किया कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसे उनके मक्के के खेत में छिपा दिया गया है। तदुपरांत, गोकुलराम (अ.सा.–1) ग्राम कोटवार, रंजीत हिडको, दौलत हिडको और अन्य ग्रामीणों के साथ गया और देखा कि गोकुलराम की पत्नी की हत्या कर दी गई थी और शव को उर्वरक (खाद) की बोरी से ढककर मक्के के खेत में छिपाया गया था। चूंकि 12.12.2015 को रात हो चुकी थी, इसलिए वह 13.12.2015 को थाने गया और उसकी मौखिक शिकायत पर मर्ग (प्रदर्श पी–1) दर्ज किया गया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दर्ज की गई।

3. दिनांक 13.12.2015 को निरीक्षक मुकेश यादव (अ.सा.–19) द्वारा प्रदर्श पी–4 के अनुसार मृतिका की मृत्यु समीक्षा तैयार की गयी और मृतिका के शव को प्रदर्श पी–23–ए के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर में शव परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ डॉ. निशांत सोरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.–17) और डॉ. सीमा ठाकुर (अ.सा.–18) ने मृतिका के शरीर का पोस्टमार्टम किया और प्रदर्श पी–23 के तहत अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें निम्नलिखित चोटें दर्ज की गईं:–

(i) दाहिनी आंख की पुतली के ऊपर 'आई ऑर्बिट' के नीचे 2 सेमी x 1 सेमी x 2 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(ii) नासिका पट में 2 सेमी x 1 सेमी x 2 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(iii) छाती में 2 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(iv) छाती में 1 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(v) छाती में नीले–लाल रंग का 10 सेमी x 5 सेमी आकार का विवर्णता/नील।

(vi) सभी चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित की गई थीं।

डॉक्टर ने मृतिका की मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों (मस्तिष्क और फेफड़े) आदि में चोट के कारण 'हाइपोवोल्यूमिक शॉक' होना बताया है और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पुलिस ने प्रदर्श पी–6 के माध्यम से घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया। पटवारी द्वारा भी प्रदर्श पी–7 के माध्यम से घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। घटना स्थल से गवाहों की उपस्थिति में सफेद–हरे रंग की उर्वरक की बोरियां और 3 अदद सफेद प्लास्टिक बैग प्रदर्श पी–9 के माध्यम से जब्त किए गए। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी प्रदर्श पी–10 के माध्यम से जब्त की गई। मृतिका के योनि स्लाइड, पेटीकोट, अंतःवस्त्र, साड़ी आदि को जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–19 के माध्यम से जब्त किया गया। दिनांक 16.12.2015 को अभियुक्त गुमान सिंह का प्रकटीकरण कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदर्श पी–12 के माध्यम से दर्ज किया गया, और उसकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, एक फावड़ा, एक सफेद रंग का 5 लीटर का जरीकेन जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 के माध्यम से जब्त किया गया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्तों को प्रदर्श पी–28 से पी–31 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी–35 से पी–38 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. गिरीश खोब्रागड़े (परीक्षण नहीं किया गया) ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्तों का चिकित्सकीय परीक्षण किया और उन्हें संभोग करने में सक्षम पाया। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी–32 के माध्यम से न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी–34 के तहत न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जिसके अनुसार, मिट्टी और

साड़ी (वस्तु – A और C) पर मानव रक्त पाया गया था। कुल्हाड़ी पर भी रक्त पाया गया था, किंतु विघटित होने के कारण उसके मूल स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5. सामान्य अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात, अभियुक्त–अपीलार्थीगण और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 376(घ), 302, 201, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके लिए अभियुक्त–अपीलार्थीगण ने दोष स्वीकार करने से इनकार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियुक्त–अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 19 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त–अपीलार्थीगण और अन्य सह–अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी लिपिबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन मामले में उनके विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(घ), 201 के अपराध से तथा अन्य अभियुक्तों को धारा 302/34, 376(घ), 364, 201 के अपराध से दोषमुक्त करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थीगण को इस निर्णय के कंडिका 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश विधि एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, किंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी को संलिप्त करने के लिए पूर्ण नहीं है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को केवल संदेह के आधार पर दोषी ठहराया है, जबकि विधि में यह स्थापित है कि संदेह की सुई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय केवल इस आधार पर पारित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण और मृतिका को अंतिम बार साथ देखा गया था। अंतिम बार देखे जाने और मृतिका के शव की बरामदगी के बीच लंबा अंतराल है और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह विधि की स्थापित स्थिति है कि अभियोजन को अपना मामला समस्त

उचित संदेहों से परे सिद्ध करना होता है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलार्थीगण ने वस्तुओं पर रक्त के संबंध में खंडन नहीं किया। अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश निरस्त किए जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पद्मन बिभर बनाम ओडिशा राज्य** [एसएलपी (क्रि.) संख्या 17440 of 2024] में दिनांक 21.05.2025 को पारित निर्णय और कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य [(2014) 4 एस सी सी 715] का अवलम्ब लिया है।

9. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है। अभियोजन अपीलार्थीगण के दोष को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूर्ण कड़ी को साबित करने में सफल रहा है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को मृतिका को जबरन ले जाते हुए अंतिम बार देखा गया था और अगले दिन मृतिका का शव बरामद किया गया था। इस मामले में अपीलार्थीगण और मृतिका के बीच पुरानी शत्रुता भी सिद्ध हुई है, जो अपराध के पीछे का हेतु था। अपीलार्थीगण ने कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने मृतिका का साथ कब छोड़ा और उसके बाद मृतिका किसके साथ और कहाँ गई। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सही ढंग से दोषसिद्ध और दंडित किया है। अतः, यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण और अन्य सह–अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 376(घ), 302/34 और 201 के अंतर्गत आरोप विरचित किए थे। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(घ), 201 के अपराध से और अन्य सह–अभियुक्तों को धारा 364, 376(घ), 302/34 और 201 के अपराध से दोषमुक्त करते हुए, वर्तमान अपीलार्थीगण को इस निर्णय के कंडिका 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध किया। अतः, यह अपील।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ जो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या मृतिका की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी या नहीं।

13. गोकुल राम (अ.सा.–1) ने कथन किया है कि घटना की तिथि को वह ग्राम कोंडे गया था और वहां पूरी रात रुकने के बाद, वह दूसरे दिन वापस आया और बाजार चला गया। बाजार से लौटते समय, उसे रास्ते में अभियुक्त प्रेम सिंह मिला, जिसने उसे (इस साक्षी को) बताया कि उसकी पत्नी की हत्या कर उसे मक्के के खेत में फेंक दिया गया है। तदुपरांत, वह ग्राम कोटवार के पास गया और घटना की सूचना दी। उसने यह भी बताया कि उसने घटना की जानकारी बरसू और देवाराम को भी दी और उसके बाद वे घटना स्थल पर गए जहाँ उसने अपनी पत्नी का शव लकड़ी और खाद की बोरी से ढका हुआ देखा। उसने यह भी कथन किया कि तत्पश्चात उसने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने मर्ग (प्रदर्श पी–1) दर्ज किया, जिसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दर्ज की गई, जिसमें उसने 'A से A' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उसने पंचायतनामा की सूचना (प्रदर्श पी–3), शव पंचायतनामा (प्रदर्श पी–4) और शव सुपुर्दनामा (प्रदर्श पी–5) के 'A से A' भाग पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

14. निरीक्षक मुकेश यादव (अ.सा.–19) ने कथन किया है कि दिनांक 13.12.2015 को गोकुल राम (अ.सा.–1) ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त प्रेमलाल ने उसे सूचित किया कि उसकी पत्नी की हत्या कर शव को मक्के के खेत में छिपा दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–1) और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दर्ज की। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बाद उन्होंने शव पंचायतनामा तैयार करने हेतु नोटिस (प्रदर्श पी–3) जारी किया और मृतिका के शव का पंचायतनामा प्रदर्श पी–4 के अनुसार तैयार किया तथा शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु प्रदर्श पी–23 ए के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. डॉ. सीमा ठाकुर (अ.सा.–18) वह शव परीक्षण चिकित्सक हैं जिन्होंने मृतिका के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:–

(i) दाहिनी आंख की पुतली के ऊपर 'आई ऑर्बिट' के नीचे 2 सेमी x 1 सेमी x 2 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(ii) नासिका पट में 2 सेमी x 1 सेमी x 2 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(iii) छाती में 2 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(iv) छाती में 1 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का विदीर्ण घाव।

(v) छाती में नीले–लाल रंग का 10 सेमी x 5 सेमी आकार का विवर्णता/नील।

सभी चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु द्वारा कारित की गई थीं। डॉक्टर ने मृतिका की मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों (मस्तिष्क और फेफड़े) आदि में चोट के कारण 'हाइपोवोल्यूमिक शॉक' होना बताया है और मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी तथा उन्होंने प्रदर्श पी–23 के तहत अपनी रिपोर्ट दी।

16. शव परीक्षण चिकित्सक ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 29.12.2015 को मृतिका के कपड़े जैसे साड़ी, पेटीकोट और अंतःवस्त्र पोस्टमार्टम की 'क्वेरी रिपोर्ट' हेतु उनके समक्ष लाए गए थे, जिसमें उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि क्या कपड़ों पर वीर्य के धब्बे पाए गए हैं या नहीं? और उन्होंने प्रदर्श पी–26 के माध्यम से इस पृच्छा का उत्तर दिया कि कपड़ों और पेरिनियम के बाहरी हिस्से पर कुछ धब्बे पाए गए हैं, किंतु वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकतीं कि योनि में मौजूद वीर्य अलग–अलग व्यक्तियों के थे, और इसलिए, उन्होंने 'वेजाइनल स्लाइड' तैयार की और उसे रासायनिक परीक्षण हेतु आरक्षक को सौंप दिया।

17. अभियोजन पक्ष ने जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा और उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त की गई, और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी–34) के अनुसार, वेजाइनल स्लाइड (वस्तु – F), पेटीकोट (वस्तु – G), अंतःवस्त्र (वस्तु – H) और साड़ी (वस्तु – I) में शुक्राणु और वीर्य पाए गए। इस प्रकार, डॉ. सीमा ठाकुर (अ.सा.–18) के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी–23) को देखते हुए, यह बिना किसी संदेह के सिद्ध होता है कि मृतिका की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या वे अभियुक्त/अपीलार्थीगण ही थे, जिन्होंने मृतिका का अपहरण करने के पश्चात उसकी हत्या की।

19. स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि **'अंतिम बार देखे जाने'** के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध करने के लिए, इस न्यायालय के लिए 'अंतिम बार देखे जाने' के साक्ष्य, अर्थात पद्मा (अ.सा.–6), प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) और कमतीला बाई (अ.सा.–14) के साक्ष्यों का परिशीलन करना अनिवार्य है।

20. पद्मा (अ.सा.–6) एक **बाल साक्षी** है। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात कि बाल साक्षी उससे पूछे गए प्रश्नों का तार्किक रूप से उत्तर देने में सक्षम है, उसका परीक्षण किया। उसने कथन किया है कि वह अपनी मां कमतीला बाई (अ.सा.–14) के साथ मृतिका के घर मुर्गी का बिछौना के लिए गई थी किंतु उसने देने से मना कर दिया। उसने यह भी बताया कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू और ईश्वर को मृतिका के घर के पीछे खलिहान में खड़े देखा था। अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने मृतिका का मुंह दबा रखा था और

अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर उसे घसीटते हुए ले गया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 7 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी मां कमतीला बाई चिल्लाई नहीं थी। राजेश अपने घर में सो रहा था, इसलिए वे उसके घर नहीं गए और उसे घटना के बारे में नहीं बताया। राजेश उनका पड़ोसी नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उसकी मां ने राजेश का दरवाजा खटखटाकर उसे यह नहीं बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू और ईश्वर, मृतिका का मुंह दबाकर उसे बलपूर्वक ले गए हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि अगले दिन उसके माता–पिता पुलिस स्टेशन नहीं गए और पुलिस को मृतिका का मुंह दबाने और अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा उसे बलपूर्वक ले जाने के बारे में सूचित नहीं किया।

21. प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) लगभग 9 वर्ष की आयु का बाल साक्षी है और मृतिका का पुत्र है। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात कि बाल साक्षी उससे पूछे गए प्रश्नों का तार्किक रूप से उत्तर देने में सक्षम है, उसका परीक्षण किया। उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू राम और ईश्वर उसके घर आए थे। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के आने से पहले, पद्मा (अ.सा.–6) और उसकी मां (अ.सा.–14) मुर्गी मांगने उसके घर आए थे, लेकिन उसकी मां ने उन्हें मुर्गी नहीं दी। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू और ईश्वर उसकी मां का मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गए थे। पुलिस उसके गांव आई थी और उससे पूछताछ की थी और उसने पुलिस को अपनी मां के बारे में बताया था। उसने यह भी बताया कि जब अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसकी मां का मुंह दबाकर ले गए तो वह डर गया था और डर के मारे वह अपनी नानी के पास चला गया और उनके साथ सो गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि अपने पुलिस कथन (प्रदर्श डी–3 और डी–4) दर्ज कराते समय उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त–अपीलार्थीगण उसके घर आए थे, वे उसकी मां को यह कहकर ले गए कि कुछ मेहमान उसे बुला रहे हैं और उसके बाद उसकी मां वापस नहीं आई, लेकिन यदि उक्त कथन उसके पुलिस बयान में नहीं लिखा है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब वह सुबह जागा, तो उसकी मां घर में मौजूद नहीं थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह अपने पिता के सिखाने पर अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू और ईश्वर का नाम ले रहा है।

22. कमतीला बाई (अ.सा.–14) ने कथन किया है कि दिनांक 11.12.2015 को रात लगभग 8:00 बजे, वह अपनी बेटी पद्मा (अ.सा.–6) के साथ मृतिका के घर मुर्गी मांगने गई थी, लेकिन उसने मुर्गी देने से मना कर दिया। उसने यह भी बताया कि जब वह मृतिका के घर से बाहर आई, तो उसने उसकी आवाज सुनी, इसलिए वह पीछे मुड़ी और देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतिका का मुंह दबा रहा था और अभियुक्त/अपीलार्थी ईश्वर उसे पीछे से धक्का दे रहा था। वह डर गई और अपने घर चली गई और अपने पति को उक्त घटना के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने अनभिज्ञता जताई और उससे शांति से सो जाने को कहा और उसके बाद वे दोनों सो गए। उसने यह भी बताया कि अगले दिन उसे पता चला कि मृतिका की हत्या कर दी गई है और उसका शव मक्के के खेत में फेंक दिया गया है। प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब उसने अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा मृतिका का मुंह दबाकर ले जाते देखा, तो वह चिल्लाई नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब मृतिका को उनके द्वारा ले जाया जा रहा था, तब उसने और उसकी बेटी ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण को रोकने का कोई प्रयास/कोशिश नहीं की। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि न तो उसका पति और न ही वह घटना की सूचना देने के लिए पटेल, ग्राम कोटवार और सरपंच के पास गए। अगले दिन भी उन्होंने पुलिस, पंच, सरपंच और कोटवार को सूचित नहीं किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस जांच के लिए 3–4 बार आई थी, तब भी उन्होंने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अन्वेषण के दौरान, अभियुक्त गुमान सिंह का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी–12 के माध्यम से लिपिबद्ध किया गया था और उसकी निशानदेही पर अभियुक्त प्रेम सिंह के मक्के के खेत से एक कुल्हाड़ी, फावड़ा और सफेद रंग का 5 लीटर का जरीकेन बरामद किया गया तथा प्रदर्श पी–13 के तहत जब्ती की गई। अन्वेषण के दौरान जब्त की गई वस्तुओं को न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी–34) के अनुसार, मिट्टी, साड़ी और कुल्हाड़ी पर रक्त पाया गया था, जो अभियुक्त गुमान की निशानदेही पर बरामद किए गए थे, किंतु रक्त के विघटित होने के कारण उसके मूल स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकी। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त गुमान और प्रेम सिंह के विरुद्ध अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है और तदनुसार उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 376(घ), 302/34 और 201 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई दोषमुक्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

24. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पद्मा (अ.सा.–6), प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) और कमतीला बाई (अ.सा.–14) द्वारा 'अंतिम बार देखे जाने' के साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह मानना है कि इन तीनों साक्षियों के कथन विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं, जिन्होंने वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को मृतिका का मुंह दबाकर बलपूर्वक ले जाते हुए देखा था; किंतु पद्मा (अ.सा.–6), प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) और कमतीला बाई (अ.सा.–14)

द्वारा अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मृतिका का मुंह दबाकर ले जाने के तथ्य को किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया और वे लगभग 3–4 दिनों तक मौन रहे। अभियोजन के अनुसार, इन साक्षियों ने दिनांक 11.12.2015 को रात लगभग 8:00 बजे घटना देखी थी। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–1) गोकुलराम (अ.सा.–1) द्वारा दिनांक 13.12.2015 को सुबह 9:30 बजे दर्ज कराई गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दिनांक 13.12.2015 को सुबह 9:35 बजे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी। पुलिस ने गोकुलराम (अ.सा.–1) का कथन दिनांक 13.12.2015 को प्रदर्श डी–1 के माध्यम से दर्ज किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या कारित करने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू और ईश्वर पर संदेह व्यक्त किया था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) का कथन दिनांक 13.12.2015 को प्रदर्श डी–3 के माध्यम से दर्ज किया गया था, जिसमें उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि उसने दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को मृतिका का मुंह दबाते हुए देखा था। उसने अपने पुलिस कथन में यह कहा था कि वह अपनी नानी के साथ था और रात 7:00 बजे खाना खाकर सो गया था और जब वह सुबह 7:00 बजे जागा, तो उसकी मां घर में मौजूद नहीं थी और पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे अपनी मृत मां के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। बाद में, अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रमोद कुमार (अ.सा.–7) का दूसरा पुलिस कथन दिनांक 16.12.2015 को प्रदर्श डी–4 के माध्यम से दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू और ईश्वर ने उसकी मां को पकड़ा था, उसका मुंह दबाया था और उसे घसीटकर ले गए थे। कमतीला बाई (अ.सा.–14) का पुलिस कथन दिनांक 16.12.2015 को प्रदर्श डी–5 के माध्यम से दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियुक्त/अपीलार्थीगण बिसाहू और ईश्वर द्वारा मृतिका को घसीटकर ले जाने के तथ्य को प्रकट किया। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–1), प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2), शव पंचायतनामा (प्रदर्श पी–4) से यह स्पष्ट है कि ये सभी दस्तावेज दिनांक 13.12.2015 को तैयार किए गए थे और दिनांक 16.12.2015 से पहले इन तीनों साक्षियों (अ.सा.–6, अ.सा.–7 और अ.सा.–14) ने वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया था।

25. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पद्म (**पूर्वोक्त**)** के मामले में कंडिका 15 से 21 में निम्नानुसार निर्धारित किया है:–

> 15.अ.सा.–1, अ.सा.–2 और अ.सा.–3 के उपरोक्त साक्ष्यों से यह उभर कर आता है कि जब वे स्नान कर रहे थे, तो स्नान घाट पर अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे, और अपीलार्थी तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतिका काजू इकट्ठा करने गए थे। हालांकि, जब अपीलार्थी से मृतिका के ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई और उसका सामना कराया गया, तो उसने अपराध स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह अ.सा.–3 के साथ नदी और काजू के जंगल के पास मृतिका की तलाश में गया। अपीलार्थी का यह आचरण दर्शाता है कि वह न तो गाँव से भागा और न ही उसने अपना अपराध स्वीकार किया, क्योंकि संभवतः उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था।

16.यह सत्य है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में, अ.सा.–17 ने पाया कि मृत्यु मानव वध है, जो खोपड़ी के फ्रैक्चर के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से हुई है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त निश्चायक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अपीलार्थी ने ही हत्या कारित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.अ.सा.–13 (महादेव सिकाका) भी 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का एक साक्षी है। उसने दोपहर लगभग 12 बजे अपीलार्थी और मृतक को ग्राम मधपदर की ओर जाते देखा था और कुछ समय बाद उसने अपीलार्थी को अकेले लौटते देखा और तब उससे मृतक के बारे में पूछा, जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया और तीन से चार बार पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वह किसी काम से पास के गाँव गया था और उसके बाद अपीलार्थी ने जल्दी से स्नान किया और चला गया। इस साक्षी के अनुसार, अपीलार्थी की पत्नी (संजू बिहार) मृतक की चचेरी बहन है। विवाह के बाद, अपीलार्थी केरल चला गया था और वापस नहीं लौटा। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, तो अपीलार्थी केरल से वापस आया और उसे अपनी पत्नी के एक सह–ग्रामवासी के साथ अवैध संबंधों का संदेह हुआ और क्रोध के कारण उसने आकाश की हत्या कर दी थी। हालांकि, प्रतिपरीक्षा में, वह स्वीकार करता है कि

पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसका कथन दर्ज नहीं किया था। इसलिए, 'हेतुक' के बारे में यह तथ्य उसके द्वारा पहली बार न्यायालय में बताया गया है, अतः इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मृतक के पिता, अ.सा.–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में 'हेतुक' के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अ.सा.–3 के अनुसार, अपीलार्थी उसका भतीजा है क्योंकि वह उसके साले का पुत्र है। इस प्रकार, अपीलार्थी और अ.सा.–3 करीबी रिश्तेदार हैं।

18.हालांकि, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का साक्ष्य अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हत्या कारित करने के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किया गया पत्थर शव के पास से बरामद किया गया था, लेकिन वह अपीलार्थी के किसी प्रकटीकरण कथन के परिणामस्वरूप बरामद नहीं हुआ था। वास्तव में, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी का कोई प्रकटीकरण कथन दर्ज नहीं किया है। वस्तुतः, अभियोजन का मामला यह है कि अपीलार्थी ने न तो अपराध स्वीकार किया और न ही उसकी निशानदेही पर हथियार या शव बरामद किया गया। यहाँ तक कि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट भी अनिर्णायक है, यद्यपि कमीज और पत्थर पर मानव रक्त पाया गया था, लेकिन रक्त समूह का मिलान नहीं हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य अभियोगात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

20.इस न्यायालय ने **कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य** में यह निर्धारित किया है कि 'अंतिम बार साथ देखा जाना' साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार है और अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य संपोषक साक्ष्य के बिना केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के

आधार पर दोषसिद्धि, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दंडित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णय के कंडिका 12 और 15 के निम्नलिखित अंशों को लाभप्रद रूप से संदर्भित किया जा सकता है:

"12. 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति स्वतः और अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है। अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने वाली कुछ और साक्ष्य होनी चाहिए। हमारे सुविचारित मत में, अपीलार्थी की ओर से मात्र स्पष्टीकरण न देना, अपने आप में अपीलार्थी के विरुद्ध दोष की सिद्धि नहीं कर सकता।"

"15. 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत — अपीलार्थी का मृतक के साथ जाना, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसके विरुद्ध उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र अंश है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल संदेह के आधार पर बरकरार नहीं रखी जा सकती, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, या उसके आचरण के आधार पर। ये तथ्य 'हेतुक' के प्रमाण के अभाव के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, विशेष रूप से तब जब यह सिद्ध हो चुका हो कि अभियुक्त और मृतक के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह तथ्यात्मक स्थिति माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 15 एस सी सी 588 के मामले के समान है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21 इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **रामब्रक्ष उर्फ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** में कंडिका 12 और 13 में निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त विधिक स्थिति को दोहराया है:

"12. यह सुस्थापित विधि है कि अभियुक्त के विरुद्ध केवल इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती कि अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था। दूसरे

शब्दों में, दोषसिद्धि केवल 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती। सामान्यतः, 'अंतिम बार देखे जाने' का सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ उस समय के बीच का अंतराल, जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था, इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने की संभावना असंभव हो जाए। दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए, केवल 'अंतिम बार साथ देखा जाना' ही पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन को अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. समान तथ्यात्मक परिस्थिति में इस न्यायालय ने **कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य (2014) 12** एस सी सी **279** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 284–85, कंडिका 21–24) "21. दोषसिद्धि केवल मृतक के साथ 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती। **अर्जुन मारिक बनाम बिहार राज्य [(1994) सप्ली. (2) एस सी सी 372]** में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 385, कंडिका 31):

"31. इस प्रकार यह साक्ष्य कि अपीलार्थी दिनांक 19–7–1985 की शाम को सीताराम के पास गया था और मृतक सीताराम के घर पर रात में रुका था, अत्यंत अस्थिर एवं अनिर्णायक है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि वे वहाँ थे, तो यह अधिकतम अपीलार्थीगण को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य माना जाएगा। किंतु यह सुस्थापित विधि है कि केवल 'अंतिम बार देखे जाने' की परिस्थिति, परिस्थितियों की उस श्रृंखला को पूर्ण नहीं करेगी जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह केवल अभियुक्त

> के दोषी होने की परिकल्पना के अनुकूल है, और इसलिए, केवल उस आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।"

26. **कन्हैया लाल** (पूर्वोक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "12. 'अंतिम बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति स्वतः और अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है कि अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है। अभियुक्त और अपराध के बीच सम्बद्धता स्थापित करने हेतु कुछ अतिरिक्त साक्ष्य होना चाहिए। हमारे सुविचारित मत में, अपीलार्थी की ओर से मात्र स्पष्टीकरण का अभाव, अपने आप में अपीलार्थी के विरुद्ध दोष की सिद्धि नहीं कर सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, वर्तमान मामले में भी यह भली–भांति स्पष्ट है कि अ.सा.–6, अ.सा.–7 और अ.सा.–14 द्वारा 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के साक्ष्य के अतिरिक्त, जिनका साक्ष्य स्वयं में संदेहास्पद है, अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कोई भी निश्चायक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अ.सा.–6, अ.सा.–7 और अ.सा.–14 के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने घटना के तीन दिन बाद, अर्थात् 16.12.2015 को 'अंतिम बार देखे जाने' के तथ्य का खुलासा किया और उससे पहले उन्होंने गाँव में किसी को भी यह तथ्य नहीं बताया था। उनके द्वारा 2–3 दिनों तक इस तथ्य को प्रकट न करना अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.–19) ने प्रमोद (अ.सा.–7) का कथन दो बार दर्ज किया है, पहला 13.12.2015 को प्रदर्श डी–3 के माध्यम से और दूसरा 16.12.2015 को प्रदर्श डी–4 के माध्यम से। अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.–19) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 40 में स्वीकार किया है कि जब उन्होंने 13.12.2015 को पहली बार प्रमोद (अ.सा.–7) का कथन दर्ज किया था, तब उसने घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और जब उन्होंने 16.12.2015 को अ.सा.–7 का अनुपूरक कथन दर्ज किया, तब उसने वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध बयान दिया। 'अंतिम बार देखे जाने' के उपरोक्त तीनों साक्ष्यों (अ.सा.–6, अ.सा.–7 और अ.सा.–14) के कथनों में उक्त अस्पष्टता और अनियमितता संदेह

उत्पन्न करती है और उनके कथन संदेह से भरे हुए हैं। यदि इन साक्ष्यों द्वारा घटना की सूचना तत्काल गाँव के किसी व्यक्ति को दी गई होती, तो स्थिति भिन्न होती। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को मृतक के साथ अंतिम बार 11.12.2015 को देखा गया था और मृतक का शव 13.12.2015 को मक्के के खेत से बरामद किया गया था, अर्थात् घटना के दो दिन बाद। अंतिम बार साथ देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच समय का बड़ा अंतराल है, और वह भी मृतक के पति (अ.सा.–1) की सूचना पर बरामद हुआ जिसे अभियुक्त प्रेम सिंह ने सूचित किया था; अतः इस बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पुलिस अन्वेषण में, हत्या का कथित हथियार 'कुल्हाड़ी' सह–अभियुक्त गुमान के प्रकटीकरण कथन पर जब्त की गई थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। 'अंतिम बार साथ देखे जाने' और शव की बरामदगी के बीच कोई पूर्ण संयोजी कड़ी नहीं है, जो इस तथ्य को उचित संदेह से परे स्थापित कर सके कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण ही अपराध के वास्तविक कर्ता हैं। अभियोजन वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध निश्चायक, विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोषसिद्धि का विपरीत निष्कर्ष दर्ज किया। ऐसा होने के कारण, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष पोषणीय नहीं है और अभियुक्त/अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपर्युक्त परिस्थितियों और विवेचना के आलोक में, आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को बनाए रखना संभव नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्त/अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

29. अभियुक्त/अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (बी.एन.एस.एस. की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्ररूप क्रमांक 45 के अनुसार 25,000/– रुपये (प्रत्येक) का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगी। साथ ही यह वचनबंध भी प्रस्तुत करें कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, उक्त अपीलार्थीगण नोटिस प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

30. विचारण न्यायालय के अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजे जाएं।

सही/– **(रजनी दुबे)** न्यायाधीश	सही/– **(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)** न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।